दिल्ली विधान सभा
समाचार भाग-1
कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
वृहस्पतिवार,20 दिसम्बर,2001/मार्गशीर्ष 29,1923 शक

संख्या-66

1	2.00 बजे	माननीय अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
	2.10 बजे	शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित की गई ।
	2.31 बजे	सदन पुनः समवेत हुआ ।
		प्रस्ताव : स्वास्थ्य मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :- यह सदन प्रस्ताव करता है कि दिल्ली की सडकों पर विदेशी मेम के गुलामों चिल्ला ाना छोड़ो से संबंधित एक बहुत ही भडकमाऊ और अभद्र भाषा में पोस्टर निकाला गया है जो कि हमारी भावना को बहुत अधिक चोट पहुंचाने वाला है तथा इस प्रकार का पोस्टर दिल्ली में कानून और व्यवस्था को चुनौती देता है और लोगों की भावना को भडकाकर अशांति पैदा करने का प्रयास किया गया है । हमारी मांग है कि इस पोस्टर को प्रकाशित करने वाले दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री व भाजपा के नेता श्री सुरेन्द्रपाल रातावाल व रविन्द्र गुप्ता के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाये । यह सदन इस घिनौनी हरकत की कड़े शब्दों में निन्दा एवं भर्त्सना करता है । प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हुआ । भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने विरोधस्वरूप सदन से संक्षिप्त बहिर्गमन किया । **प्रश्न काल** : तारांकित प्रश्न संख्या-41,44,48 और 50 पूछे गये और उनके उत्तर दिये गये ।तारांकित प्रश्न संख्या-42,43,45-47,49 व 51 से 60(57 को छोड़कर) और अतारांकित प्र.सं. 56 से 105(72,81,82 व 83 को छोड़कर) के उत्तर सदन पटल पर रखे गये । **सदस्य का निलम्बन** : प्रश्नकाल के चलते श्री सुशील चौधरी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित समस्या को उठाना चाहा और अपने आसन पर बैठने से मना कर दिया । अध्यक्ष महोदय ने सदस्य को सदन से बाहर जाने के लिये कहा ।
2.	3.00 बजे	**मंत्रियों द्वारा वक्तव्य :** 1. श्री अजय माकन,परिवहन मंत्री ने सीएनजी बस में आग लगने के संबंध में एक वक्तव्य दिया । 2. श्री राज कुमार चौहान,समाज कल्याण मंत्री ने वृद्धावस्था पेंशन देने के संबंध में नये दिशा-निर्देश जारी करने के संबंध में एक वक्तव्य दिया ।
3.	3.07 बजे	**विशेष उल्लेख(नियम-287)** - निम्नलिखित सदस्यों द्वारा दिये गये विशेष उल्लेख के मामले पढ़े हुए माने गये :- 1. श्रीमती किरण चौधरी 2. श्री शोएब इकबाल 3. चौ. शीश पाल

		4. श्री पूरन चन्द योगी 5. श्री जगदीश आनन्द 6. चौ. राम सिंह नेताजी 7. श्री सुरेन्द्र कुमार 8. श्री भीष्म शर्मा 9. श्री नन्द किशोर गर्ग 10. श्री मोती लाल बोकोलिया
4.	3.13 बजे	**प्रतिवेदनों पर सहमति** 1. श्री मोती लाल बोकोलिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि यह सदन दिनांक 19 दिसम्बर,2001 को सदन में प्रस्तुत अनुसूचित जाति,जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग कल्याण समिति के छठे प्रतिवेदन से सहमत है । प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया 2. श्री राधेश्याम खन्ना ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया :- कि यह सदन दिनांक 19.12.2001 को सदन में प्रस्तुत लोक लेखा समिति के नौंवे प्रतिवेदन से सहमत है । प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया
5.	3.15 बजे	**विधेयकों पर विचार एवं पारण** 1. श्रीमती शीला दीक्षित,मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय(संशोधन) विधेयक,2001 2001 का विधेयक संख्या-29 पर विचार किया जाये । प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया । विधेयक पर खण्डवार विचार किया गया । मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि विधेयक को पारित किया जाये । प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया । 2. मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा में विपक्ष के नेता वेतन एवं भत्ते विधेयक,2001 2001 का विधेयक संख्या-30 पर विचार किया जाये । प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया । विधेयक को खण्डवार विचार के लिये लिया गया । डॉ. एस.सी.वत्स और श्री भीष्म शर्मा ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :- परिभाषाएं में अधिक से अधिक संख्या हो, के बाद विधान सभा के 1/4 सदस्यों से कम सदस्य न हो और इस प्रकार विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा मान्यताप्राप्त हो जोड़ा जाये । मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया और सदस्यों से अनुरोध कियाकि वे अपने संशोधन वापिस ले लें । संशोधन सदन की अनुमति से वापिस लिये गये । मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि विधेयक को पारित किया जाये । प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

		3. मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के सदस्यों के वेतन,भत्ते,पेंशन आदि संशोधन विधेयक,2001 2001 का विधेयक संख्या-31 पर विचार किया जाये । प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया । विधेयक पर खण्डवार विचार किया गया । मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि विधेयक को पारित किया जाये । प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया । 4. मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों के वेतन,भत्ते संशोधन विधेयक,2001 2001 का विधेयक संख्या-32को पारित किया जाये । प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया । विधेयक को खण्डवार विचार के लिये लिया गया । मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि विधेयक को पारित किया जाये । प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।
6.	3.41 बजे	**नियम-107 के अन्तर्गत प्रस्ताव :** 1. डॉ. जगदीश मुखी ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :- 25 नवम्बर,2001 को पीठासीन अधिकारियों,पार्टी नेताओं और सचेतकों के सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार यह सदन सिफारिश करता है कि एक कलैण्डर वर्ष में विधान सभा की कम से कम 50 बैठकें आयोजित करना सरकार के लिये आवश्यक बनाने के लिये सदन में एक विधेयक लाया जाये । मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया और सदस्य से अनुरोध किया कि वे प्रस्ताव को वापस ले लें । सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया ।
	4.00 बजे	सदन जलपान अवकाश के लिये स्थगित हुआ ।
	4.37 बजे	सदन पुनः समवेत हुआ ।
7.		नियम-107 के अन्तर्गत प्रस्ताव : श्रीमती अंजलि राय ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :- इस सदन की राय है कि दिल्ली में 1000 के अनुपात में महिलाओं की संख्या- 827 हैं,जो कि भारत में सबसे कम होने के साथ-साथ चिन्ताजनक और असमानुपातक भी है । यह सदन महसूस करता है कि इस संबंध में कार्रवाई करते हुए इसको रोकने के लिये निम्नलिखित उपायों को अपनाया जाना चाहिये :- क. भ्रूण हत्या के विरुद्ध सख्त कदम उठाये जाने

		चाहिये,जिसके कारण हर वर्ष 20 लाख से ज्यादा महिला भ्रूण नष्ट हो रहे हैं । ख. कन्या के जन्म पर विशेष प्रोत्साहन दिया जाये । ग. लडकियों के माता-पिता को विशेष वृद्धावस्था पेंशन दी जाये । घ. 0-6 वर्ष की कन्याओं को विशेष चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाये जिनकी निम्न चिकित्सा सुविधा के कारण मृत्यु हो जाती है । निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :- 1. डॉ. हर्षवर्द्धन 2. श्री अरविन्दर सिंह लवली 3. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह मुख्य मंत्री ने इस मामले में एक वक्तव्य दिया । स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया । प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।
8.	5.20 बजे	**अल्पकालिक चर्चा :** श्री नन्द किशोर गर्ग ने दिल्ली विद्युत बोर्ड के निजीकरण और भारी मात्रा में बढ़े हुए बिजली के बिल भेजे जाने के संबंध में अल्पकालिक चर्चा प्रारम्भ की । डॉ. एस.सी.वत्स से चर्चा में भाग लिया । परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।
	6.15 बजे	सदन पूरे दिन के लिये स्थगित हुआ ।

दिल्ली,
20 दिसम्बर,2001

एस.के.शर्मा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
BULLETIN PART-I
(Brief summary of proceedings)
Thursday, the 20th December, 2001/29 Marghshish, 1923 (Saka)

No.66

01 2.00 PM Hon'ble Speaker in Chair.

2.10 PM Due to pandemonium the House was adjourned for fifteen minutes

2.31 PM House Reassembled

MOTION: The Health Minister moved the following motion:
"This House resolves that the posters displayed in public regarding '*videshi mem ke ghulamon chillana chodo*' is extremely provocative and indecent and challenges the law and order in Delhi and tries to provoke people's sentiments and create disturbance.
The House demands that strict legal action be taken against the publishers of these posters, Shri Surendra Pal Ratawal, former minister and leader of BJP and Shri Ravindra Gupta.
This House condemns this cheap action."

The motion was passed by voice vote.
Members of the BJP staged a brief walk out in protest.

QUESTION HOUR: Starred Questions 41,44,48 and 50 were raised and replied. Replies to Starred 42,43,45-47, 49, and 51 to 60(Except 57) and Unstarred 56 to 105 (Except 72, 81, 82 and 83) were laid on the Table.
Suspension of Member: As the Question Hour was going on Shri Sushil Chaudhry sought to raise a matter pertaining to his constituency and refused to resume his seat. The Chair asked the Member to withdraw from the House.

02 3.00 PM **STATEMENT BY MINISTERS:**

1. Shri Ajay Maken, Minister of Transport made a statement regarding the fire accident involving a CNG Bus.
2. Shri Raj Kumar Chauhan, Minister of Social Welfare made a statement regarding the new guidelines governing issue of old age pension.

03 3.07 PM **SPECIAL MENTIONS (Rule 287):** Special Mentions made by the following members were treated as read:

1. Smt. Kiran Choudhry
2. Shri Shoaib Iqbal
3. Ch. Shish Pal
4. Shri Puran Chand Yogi
5. Shri Jagdish Anand
6. Ch. Ram Singh Netaji
7. Shri Surender Kumar
8. Shri Bheeshm Sharma
9. Shri Nand Kishore Garg
10. Shri Moti Lal Bokolia

04 3.13 PM **ADOPTION OF REPORTS:**

1. Shri Moti Lal Bokolia moved the following motion:
"that this House agrees to the **Sixth Report of the Committee on the Welfare of the SC/ST/OBCs** presented to the House on19th December, 2001."
The Motion was put to vote and adopted.

2.Shri Radhey Shyam Khanna moved the following motion:
"that this House agrees to the **Ninth Report of the Committee on Public Accounts** presented to the House on 19th December, 2001."
The Motion was put to vote and adopted.

05 3.15 PM **CONSIDERATION AND PASSING OF BILLS:**

1. The Chief Minister moved that **"The Delhi High Court (Amendment) Bill, 2001 (Bill No.29 of 2001)"** be taken into consideration.
The Bill was considered clause-wise.
The Chief Minister moved that the Bill be passed.
The Motion was put to vote and adopted.

2. The Chief Minister moved that, **"The Leader of the Opposition in the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi (Salary Allowances) Bill, 2001 (Bill No.30 of 2001)"** be taken into consideration
The Bill was considered clause-wise.
Dr. SC Vats and Shri Bheeshm Sharma moved the following amendment:
"DEFINITIONS: Add after the word having the greatest numerical strength – 'not less than one fourth strength of the members of Legislative Assembly and recognized as such by the Speaker of the Legislative Assembly."
The Chief Minister replied and requested the Members to withdraw their amendments.
The amendments were withdrawn with the leave of the House.
The Chief Minister moved that the Bill be passed.
The Motion was put to vote and adopted.

3. The Chief Minister moved that, **"The Members of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowances, Pension etc.) (Amendment)Bill, 2001 (Bill No.31 of 2001)"** be taken into consideration.
The Bill was considered clause-wise.
The Chief Minister moved that the Bill be passed.
The Motion was put to vote and adopted.

4. The Chief Minister moved that, **"The Minister of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 2001 (Bill No. 32 of 2001)"** be taken into consideration.
The Bill was considered clause-wise.
The Chief Minister moved that the Bill be passed.
The Motion was put to vote and adopted.

06 3.41 PM **MOTION UNDER RULE 107:**

1. Dr. Jagdish Mukhi moved the following motion:
"That as per the recommendations of the Conference of Presiding Officers, Party Leaders and Whips held on 25th November, 2001, this House recommends that a Bill be brought on the floor of the House to make it mandatory for the Government to hold at least 50 sittings of the Legislative Assembly in one

calendar year."
The Chief Minister replied and requested the Member to withdraw the Motion.
The Motion was withdrawn.

4.00 The House adjourned for tea-break
4.37 The House reassembled.

07 **Motion under Rule 107:** Smt. Anjali Rai moved the following motion:

"This House is of the opinion that the declining number of females in Delhi State i.e. 827 in comparison to 1000 men, lowest in India is highly disproportionate and alarming too"
This House feels that necessary action should be taken to prevent it by different measures like

a) Taking strong action against female foeticide due to which more than 20 lakh female foetus are aborted every year.
b) Giving special incentives at the birth of the girl child.
c) Special old age pension to the parents of girls.
d) Special health care facilities to the girl child of 0-6 years, who die due to poor health care.

The following Members participated in the discussion:

1. Dr. Harshvardhan
2. Shri Arvinder Singh Lovely
3. Shri Tarvinder Singh Marwah

The Chief Minister made a statement on the issue.
The Health Minister replied.
The Motion was put to vote and adopted.

08 5.20 PM **SHORT DURATION DISCUSSION:**
Shri Nand Kishore Garg initiated discussion on "Privatisation of Delhi Vidhyut Board and large scale inflated electricity Bill by it."
Dr. SC Vats participated in the discussion
The Minister for Transport and Power replied.

6.15 PM The House adjourned for the day.

20th December, 2001
DELHI

SK SHARMA
SECRETARY